न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 01/2025 दायर दिनांकः– 16.01.2025

ऑनलाईन प्रकरण सं. – 2025/79 निर्णय दिनांकः– 28.01.2026

1. श्रीमती एतरी पुत्री बिजीया आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
2. श्रीमती जीवा पुत्री बिजीया आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
3. तोलु पुत्र नरसिंग आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
4. नवली पत्नि स्व. नरसिंग आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
5. वालचन्द पुत्र नरसिंग आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
6. सोकली पुत्री बिजीया आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
7. हरेंग पुत्र बिजीया आयु वयस्क जाति भील निवासी मोरझरी, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।

........प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाडा

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 नक्शा इन्द्राज दुरस्ती

आदेश

प्रार्थीगण श्रीमती एतरी पुत्री बिजीया वगैरह कुल 07 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम में नक्शा इन्द्राज दुरस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोरझरी हाल पटवार हल्का महुडा तहसील कुशलगढ़ के मूल सर्वे नम्बर 550/35 रकबा 1.0522 हैक्ट. लगान 0.42 रू उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त् कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण खेती करते है तथा खेत में पुस्तेनी मकान बना हुआ है। उक्त खेत का पुर्व में आराजी नंबर 550/350/35 रकबा 2.60 एकड दर्ज रेकार्ड था लेकिन जमाबन्दी/राजस्व रेकार्ड कम्प्युटराईज होने से तीन डिजीट वाले खसरें नंबरों में फिडींग नहीं होने से उसका नम्बर शुद्ध किया जाकर वर्तमान आराजी नम्बर 550/35 रकबा 1.0522 हैक्ट. राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से बदस्तुर कृषियुक्त कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा जुलाई 2024 में राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारी की गलती से उक्त खेत के नक्शा के लटठें में तरमीम नहीं की है एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में भी प्रार्थीगण के उक्त खेत को काबिज स्थान पर नहीं दर्शाया गया है, जिस पर प्रार्थीगण ने पटवार हल्का से सम्पर्क कर इन्द्राज दुरूस्ती का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की उक्त आराजी का नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की जावेगी तो निकट भविष्य में प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कीमत अथवा आंकडों में होना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्तें इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु पेश किया जाकर प्रार्थीगण के कृषि भूमि के मौके पर काबिज स्थान पर आफलाईन व ऑनलाईन नक्श में तरमीम/पेमुदगी की जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.01.2025 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ को पत्र लिखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार कुशलगढ़ के पत्रांकः– एफ ( ) राजस्व/2025/137 दिनांक 23.06.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली की जाकर वादी वकील को सुनाई गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट स्पष्ट/तथ्यात्मक नहीं होने से वादी वकील द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में पुनः स्पष्ट जांच करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र में वादी वकील का

Scanned with CamScanner

निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया तथा तहसीलदार कुशलगढ़ को उक्त कृषि भूमि की पुनः जांच कर स्पष्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेश दिये गयें। तहसीलदार कुशलगढ़ के पत्रांक एफ ( ) राजस्व/2026/26 दिनांक 20.01.2026 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम मोरझरी पटवार हल्का महुडा के खसरा नम्बर 35 पूर्व में श्री सरकार व समयानुसार खातेदारों को आवंटन हुए एवं नक्षें लटठें में तरमीम की गई। खसरा संख्या 570/35 व 642/35 जिनका रकबा क्रमशः 0.2023 हैक्ट. व 0.4047 हैक्ट. खातेदार झागु पत्नि स्व. भीलजी 1/12, धुली पत्नि स्व. भुरजी 1/18, नारजी पुत्र दुधा 1/16, नारसिंह पुत्र भीलजी 1/12, बादर पुत्र दुधा 1/16, वरसिंग पुत्र दुधा 1/16, शामजी 1/18, सागर पुत्र भुरजी 1/18, हरचन्द पुत्र दुधा 1/16 जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त खसरों की तरमीम वर्तमान नक्षें लटठें में 570/35 मुल खसरा 33 के पूर्व दिशा में की हुई एवं 642/35 की मूल खसरा संख्या 41 के दक्षिण दिशा में की हुई एवं मूल खसरा संख्या 46 के पश्चिम दिशा में लगती हुई है (संलग्न नक्षा ट्रेस 1)। लटठें में दर्शित नक्शें में खसरा संख्या 570/35 रकबा क्रमशः 0.2023 हैक्ट. भूमि मेसे 0.1455 हैक्ट. भूमि प्रार्थी संख्या 07 हरेंग पुत्र बिजीया का कब्जा होकर मकान पक्का बना हुआ है एवं खसरा संख्या 642/35 रकबा 0.4047 हैक्ट. भूमि मेसे लगभग 0.2777 हैक्ट. पर हरेंग पुत्र बिजीया कृषि कार्य करतें है। राजस्व ग्राम मोरझरी में वर्तमान खाता संख्या 57 पुराना 48 में स्वीकृत नामान्तरकरण शुद्धि 20/05/2024 से खसरा संख्या 550/350 को 550/35 किया गया। जिससे सिद्ध हुआ कि हरेंग पुत्र बिजीया वगैरह का मूल नक्षा खसरा संख्या 35 में होना चाहिए। खसरा संख्या 35 का अवलोकन करने पर खसरा संख्या 35 जो कि मुख्य मार्ग से कुछ हिस्सा लगतें हुए है। इस मार्ग का खसरा संख्या 19 है। मार्ग खसरा संख्या 19 से लगतें खसरें 633/35, 715/35, 529/35 है। 529/35 के नीचें खसरा संख्या 646/35 प्रदर्शित है। इसमें 715/35 नक्षें में दो बार प्रदर्शित (लटठें में) हो रहा है। ऑनलाईन में मार्ग में लगतें हुये खसरे संख्या 715/35 की जगह 705/35 को दर्शाया गया। वर्तमान में जिस भूमि पर हरेंग पुत्र बिजीया का कब्जा है, उसकें अनुसार खसरा संख्या 550/35 को नक्षा लटठें में दर्शाया गया (संलग्न नक्षा ट्रेस 2), जिसमें 715/35 जो दो बार प्रदर्शित हो रहा, उसमें एक 715/35 को उसकें कब्जें अनुसार खसरा संख्या 29 के पश्चित दिशा में रकबें अनुसार दर्शाया गया है। खसरा संख्या 570/35 को पूर्ण रूप से मुख्य मार्ग से लगतें हुए दर्शाया गया है। ऑनलाईन खसरा संख्या 705/35 को अन्य मार्ग जो मार्ग संख्या 19 और 48 को जोड़ रहा है पर दर्शाया बाकि खसरों को यथावत रखा है। जिससे ट्रेस नक्षा क्रमांक संख्या 02 के अनुसार नक्शा शुद्ध किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

अतः उक्त खसरा नम्बरो की लट्ठे में दर्ज अशुद्धि एवं ऑनलाईन भू नक्षा में तरमीम के दौरान रही अशुद्धि को शुद्धि किये जाने के संबंध में अशुद्ध ट्रेस नक्शा क्रमांक 01 व शुद्धि योग्य खसरो का ट्रेस नक्शा क्रमांक 02 प्रस्तुत कर ऑनलाईन नक्शे में शुद्धि की अनुशंषा की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार कुशलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट मय ट्रेस नक्शा 1 व 2 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रभावित खसरा नम्बरान का नक्षा ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन भू–नक्षा में शुद्धी किए जाने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त वर्णित खसरों के ऑनलाईन भू'–नक्षा में शुद्धी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोरझरी पटवार मण्डल महुडा के सलंग्न नक्षा ट्रेस अनुसार ऑनलाईन भू–नक्षा व लटठे में शुद्धि किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ़ उक्तानुसार नक्षा शुद्धि कर अमलदरामद करें। संलग्न ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 28·01·2026 को टंकीत कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner